

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. दिनांक 1.1.2011 से 12.5.2022 तक सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर कितने उचित मूल्य दुकानदारों-राशन डीलरों का निलम्बन हुआ है उनके निलम्बित उचित मूल्य दुकानदारों-राशन डीलरों के समस्त सम्पूर्ण निलम्बन आदेशों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदक को प्रमाणित नकल उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
2. राजेश कुमार शर्मा (निलम्बित-निरस्त) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर प्रदेश राजस्थान की निलम्बित पत्रावली एवं निरस्त पत्रावली के समस्त दस्तावेजों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत आवेदक को तय निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौरान सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस-क्रमांक/सूकाअ/2022/753 दिनांक 28.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नहीं है। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना से संबंधित पत्रावली जिला कलेक्टर न्यायालय में भिजवाई जा चुकी है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना (उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों पत्रों की प्रति) अपीलान्त को 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना से संबंधित पत्रावली इस न्यायालय में होने के कारण उक्त पत्रावली से अपीलान्त को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

